न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/76/2023 दायर दिनांक 19.07.2023

उनवान

1. गोपीलाल पिता भूरालाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. रतनी पत्नी कालू जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. गोपीलाल पिता हीरा जाति पूर्बिया (गाडरी) आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. मांगीलाल पिता नानूराम जाति पूर्बिया (गाडरी) आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. राजू पिता मांगीलाल जाति पूर्बिया (गाडरी) आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. देवीलाल पिता मांगीलाल जाति पूर्बिया (गाडरी) आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 15.10.2025

—:निर्णयः—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा बनाकियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज वादीगण के खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजी संख्या 1210 रकबा 2.32 हैक्ट0 स्थित है। उक्त आराजीयात पर वादीगण आराजीयात के पूर्व दिशा में स्थित आम सरकारी रास्ते से अपनी खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में प्रवेश करते हैं।

यह कि वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के उत्तर दिशा के मध्य के पडौसी है। प्रतिवादीगण को उनकी आराजीयात पर आने जाने के लिये गांव बनाकियाखुर्द की आबादी से अन्य सरकारी पुराना रास्ता था जो प्रतिवादीगण की जमीन के पूर्व दिशा में एवं भवानीराम चमार की जमीन के पश्चिम दिशा में था जिसको प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया एवं जबरन अब ताकत के बल पर वादीगण की उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा में जबरन नया रास्ता बना अपनी आराजीयात में पहुंचना चाहते है। ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादीगण द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने एवं मारपीट करने पर उतारू हो जाते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आपको यदि हमारी जमीन में से रास्ता चाहिए तो कानून के अनुसार कार्यवाही करके ले लो परन्तु प्रतिवादीगण इस बात पर भी सहमत नही है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

यह कि दिनांक 25.05.2023 को सांय करीब 5 बजे की घटना है कि वादीगण अपनी आराजीयात का उपजाउ बनाने के लिये मिट्टी आदि डलवा रहे थे तो प्रतिवादीगण ने आकर वादीगण से झगडा किया एवं आराजीयात के उत्तर दिशा में मिट्टी नही डालने दी एवं वहां उनकी जमीन पर आने जाने के लिए रास्ता खुला छोडने को कहा तो वादीगण ने इन्कार कर दिया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये एवं वादीगण को मॉ बहिनो की गन्दी गन्दी गालियां निकाली। एवं धमकी दी कि यदि उनको जमीन आने जाने के लिये रास्ता नहीं दिया तो उसका अन्जाम भी बुरा होने की धमकी दी। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह वादीगण की उक्त वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे एवं आराजीयात पर लगी तारो की बाड एवं पत्थरों के पिलर को नुकसान नही पहुॅचावें एवं जबरन वादीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजीयात में किसी प्रकार का नया रास्ता नही बनावे एवं वादीगण की आराजीयात में खडी फसलों, पेडो आदि को नुकसान नही पहुॅचावें एवं न ही ऐसा प्रतिवादीगण अपने परिवारजनों या किसी अन्य नौकर एजेन्ट आदि से ही करावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की क्षति नही होगी एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी न होने की स्थिति में हम वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में नहीं की जा सकेगी। एवं अनावश्यक मुकदमे बाजी पक्षकारान के मध्य बढ जावेगी।

यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 25.05.2023 का पैदा होकर निरन्तर जारी है।

यह कि आराजीयात के सह खातेदार मांगीलाल पिता उदयराम जाति गुर्जर निवासी सनवाड का वादग्रस्त आराजीयात में निहित हिस्सा 5/116 वादी गोपीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय. पत्र दिनांक 20.06.2023 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया है। एवं विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण खोला जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस कारण खातेदार मांगीलाल का वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हिस्सा शेष नही रहने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होते ही नई नकल जमाबन्दी प्रस्तुत कर दी जावेगी। विक्रय पत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न है।

अन्त में वादीगण ने प्रार्थना की कि–

– पक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1210 रकबा 2.32 हैक्ट0 में किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे एवं आराजीयात की सुरक्षा के लिये जो तारबन्दी कर पिलर आदि लगा रखे है उनको क्षतिग्रस्त नही करे एव वादीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजीयात में जबरन ताकत के बल पर प्रवेश नही करे एवं रास्ता निकालने के लिए विवाद नही करे। एवं न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर एजेन्ट आदि से ही करावें।

–हर्जा खर्चा मुकदमा, मेहन्ताना वकील आदि वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

–अन्य कोई दाद जो मुफिद वादीगण हो एवं न्यायालय आप द्वारा वादीगण को दिलाया जाना न्यायोचित हो वह भी दिलाई जावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सैयद अश्फाक अली का अधिकार पत्र प्रस्तुत। पूर्व में दिनांक 20.03. 2025 को वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। साक्ष्यवादी में गोपीलाल, जगन्नाथ व कालू के शपथ पत्र पेश व दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नही किये जाने से जिरह निल रही। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेजों का अवलोकन किया। की गयी बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि वादवर्णित आराजीयात वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 किसी प्रकार की दस्तन्दाजी नही करे एवं आराजीयात की सुरक्षा के लिये जो तारबन्दी कर पिलर आदि लगा रखे है उनको क्षतिग्रस्त नही करे एव वादीगण की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजीयात में जबरन ताकत के बल पर प्रवेश नही करे एवं रास्ता निकालने के लिए विवाद नही करे। एवं न ही ऐसा अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य, नौकर एजेन्ट आदि से ही करावें।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा बनाकियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के वैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज वादीगण के खातेदारी अधिकार कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजी संख्या 1210 रकबा 2.32 हैक्ट0 स्थित है, में प्रतिवादी संख्या 1 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात में वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। न ही ऐसा प्रतिवादीगण उनके परिवार के अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट आदि से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़